अनुसूचित जातियों की शैक्षिक,आर्थिकएवं सामाजिक स्थिति कामानवशास्त्रीय अध्ययन

(उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कैथवलिया गाँव के विशेष संदर्भ में)

मानव विज्ञान मेंएम. फिल. उपाधि हेतु
लघु-शोध प्रबंध
सत्र 2013-14

निर्देशक
डॉ. वीरेंद्र प्रताप यादव
सहायक प्रोफेसर,
मानव विज्ञान

प्रस्तुतकर्ता
ब्रजेन्द्र कुमार गौतम
एम॰फिल॰ मानव विज्ञान

मानव विज्ञान विभाग
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित
गांधी हिल्स, वर्धा- 442005 (महाराष्ट्र) भारत

अनुक्रमणिका

		पृष्ट संख्या
अध्याय एक-	प्रस्तावना	(01-10)
अध्याय दो -	शोध प्रविधि	(11-13)
अध्याय तीन-	क्षेत्र कार्य	(14-18)
अध्याय चार –	कैथवलिया गाँव में अनुसूचित जाति की शैक्षिक स्थिति	(19-27)
अध्याय पाँच -	कैथवलिया गाँव में अनुसूचित जाति की आर्थिक स्थिति	(28-52)
अध्याय छः -	कैथवलिया गाँव में अनुसूचित जाति की सामाजिक स्थिति	(53-81)
अध्याय सात -	कैथवलिया गाँव में अनुसूचित जाति की राजनैतिक स्थिति	(82-96)
अध्याय आठ –	निष्कर्ष	(97-101)

परिशिष्ट

संदर्भ ग्रंथ-सूची

अध्याय एक :प्रस्तावना

भारतीय समाज विभिन्न जातियों एवं उप जातियों में बंटा हुआ है। विभिन्न योजना आयोगों के आकड़ों एवं अनुमानों के अनुसार यहाँ पर तीन हजार से भी अधिक जातियों व उपजातियाँ विद्यमान या निवास करती हैं। इन जातियों में स्तरणात्मक स्थिति पायी जाती है। जिसका अभिप्राय जातियों में ऊँच-नीच का पाया जाना भी है। इसके अन्तर्गत एक जाति सामाजिक प्रतिष्ठा व सम्मान के आधार पर शिखर पर है तो दूसरी जाति मान-सम्मान व प्रतिष्ठा में एकदम नीचे स्थित है। यहाँ पर निम्न जाति को प्रतिष्ठा व सम्मान दूर उनके स्पर्श को भी अनुचित व धर्म विरोधी तक समझा गया है। जातिय सोपान में स्थित निम्न जातियों पर अनेक अयोग्यतायें लाद दी गयी हैं। इन्हें अस्पृश्य, दलित आदि कहकर सम्बोधित किया जाता है। भारतीय संविधान की धारा-341(1) व (11) के अन्तर्गत इन्हीं जातियों को अनुसूचित जाति की विशेष श्रेणी में रख विशेष विकास का प्रयास किया गया है।

अनुसूचित जाति से आशय उन शोषित व पीड़ित जातियों अथवा वर्ग से है, जो परम्परागत आधार पर सदियों से सामान्य सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक अधिकारों से वंचित रहे हैं। डॉ. भीम राव अम्बेडकर के अनुसार इसके अन्तर्गत वे जातियाँ शामिल हैं, जो परम्परागत मूल्यों के अनुसार अपवित्रकारी मानी गयी हैं । इनमें निम्न श्रेणी के कारीगर (जैसे-बुनकर, धोबी, वापक) डंगरी, सऊदी आदि। विशेषतः शामिल हैं जो समाज के उस विशेष मानसिक दृष्टिकोण व सामाजिक आचरण से है, जिनके आधार पर समाज के निम्नतम वर्ग को अनेक सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक अधिकारों में वचित रखा गया तथा सामाजिक संरचना में इन्हें निम्न स्थान दिया गया कि वे दूसरे के स्पर्श योग्य भी न रहें । इन जातियों के सदस्यों को सामान्य सामाजिक पूजा, पाठ, मंदिरों में जाने आदि एवं सार्वजनिक स्थलों (जैसे-कुओं, तालाबों व घाटों आदि) के उपयोग हेतु वंचित किया जाता रहा है। अस्पृश्य जातियों के सदस्यों को हीन भावना से देखना उसके साथ सामाजिक, सहवास में कतराना एवं उनकी आर्थिक प्रगति उचित न समझना आदि अस्पृश्यता का द्योतक है। यह सामुदायिक गुलामी अथवा सामुदायिक सामंतवादी का प्रतीक है। अनुसूचित जातियों को धार्मिक ग्रन्थों विशेषतः ब्राह्मण धर्म शास्त्रों में 'शुद्र' शब्द से सम्बोधित किया गया है। उसके साथ भेदभाव व कठोरता पूर्ण व्यवहार हेतु संकेत भी किये गये हैं। इस सम्बन्ध में अनेक दृष्टान्त धार्मिक ग्रन्थों में निम्नवत हैं ।

ऋग्वेद के पुरूष सूक्त में दर्शाया गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भूजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति उदर व शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से हुई है। अर्थात शूद्रों की स्थिति सामाजिक संरचना में निम्न दर्शायी गयी है।

मनुस्मृति के 8/413-14 भाग में कहा गया है कि शूद्र ब्राह्मणों की दासता के लिए ही पैदा हुआ है। दासता उसका स्वभाविक धर्म भी है। मनुस्मृति में ही (8/417) स्पष्ट किया है

कि शूद्रों का अपना कुछ नहीं है। उसका धन उसके मालिक का है। मनुस्मृति में ही (10/9, 129) में उल्लेखित है कि शूद्र धन संचय का अधिकारी नहीं है।

अत्रिस्मृति (1/191/113) में कहा गया है कि धार्मिक क्रिया-कलाप स्त्री व शूद्र के लिए पतन का कारण है।

पारस स्मृति में 01/71/74 व मनुस्मृति 1/84 में दर्शाया गया है कि वेदाअध्ययन शूद्र को नर्क की ओर ले जाता है।

वशिष्ठ स्मृति 1/19 में कहा गया है कि शूद्रों को बुद्धि, विद्या प्रदान किया जाना निसिद्ध है।

गौतम स्मृति12 में दर्शाया गया है कि शूद्रों द्वारा वेद सुनने पर कानों में सीसा व रांगा भरने, उच्चारण करने पर जीभ काटने एवं हृदयंगम करने पर मृत्यु दण्ड का भी प्रावधान है।

रामचरित मानस में कहा गया है कि ढोल गंवार, शूद्र, पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी हैं।

इस प्रकार अस्पृश्य जातियों अथवा शूद्रों (जिन्हें अनुसूचित जाति के अन्तर्गत रखा गया है)। की निर्योग्यताएँ ऐतिहासिक व शास्त्रीय हैं। व्यवहारिक तौर पर विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक निर्योग्यताऐं देश के समस्त भागों में व सभी अस्पृश्य जातियों पर समान रूप से लागू नहीं हैं। लेकिन समस्त क्षेत्रों में इन जातियों की स्थितिगरीबी, शोषण, वहिष्कार व उत्पीड़न से जुड़ी रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अस्पृश्यता को वैधानिक रूप में समाप्त करने का प्रयास किया गया है। फिर भी इनकी स्थिति में बहुत अधिक सुधार नहीं हो सका है।

भारत में अनुसूचित जातियों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग17 प्रतिशत है। भारत की भौगोलिक संरचना एवं विशालता के कारण यहाँ पर लगभग 700 अनुसूचित जातियाँ निवास करती हैं, जिनमें बहुत सी जातियों के नाम पर्यायवाची हैं। कुछ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या करोड़ों में भी है। भारत में अनुसूचित जातियों में चमार जाति की जनसंख्या लगभग सबसे अधिक है। इसके अलावा भी, पासी, धोबी, धुसाध, भंगी, द्रबिड़, डोम, माली, महार, माहर आदि जातियाँ प्रमुख हैं। भारत में अनुसूचित जातियाँ, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, आन्ध्रप्रदेश आदि राज्यों में प्रमुख रूप से पायी जाती हैं। भारत में आज भी अनुसूचित जातियों की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण व गाँवों में निवास करती हैं । उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियाँ, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच लखीमपुर, खीरी, अम्बेडकर नगर आदि जिलों में प्रमुख रूप से निवास करती है । आर्थिक सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक रूप से ये जातियाँ आज भी पिछड़ी हुई हैं। अनुसूचित जातियों की आधी

से अधिक जनसंख्या पांच हिन्दी भाषी राज्यों (उत्तर प्रदेश-255 लाख), बिहार (10 लाख)मध्य प्रदेश (73 लाख)राजस्थान(58 लाख)हरियाणा (25 लाख) में निवास करती हैं । दक्षिण भारत में सबसे अधिक (88 लाख के लगभग) अनुसूचित जातियाँ तमिलनाडू में निवास करती हैं।[1]

अनुसूचित जातियाँ वे जातियाँ हैं, जो अनेक सामाजिक व राजनैतिक, शैक्षिक, निर्योग्यताओं के शिकार हैं। इनमें से अनेक निर्योग्यतायें उच्च जातियों द्वारा परम्परागत तौर पर निर्धारित व सामाजिक तौर पर लागू की गयी हैं।[2]

अनुसूचित जाति की संवैधानिक परिभाषाः-संविधान के अनुच्छेद 341 में कुछ आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप में पिछड़ी हुई जातियों एवं समुदायों को जो अस्पृश्यता एवं कई निर्योग्यताओं की शिकार थी, उन्हें अनुसूचित जाति घोषित कर दिया गया है। अनुसूचित जातियों की मौजूदा सूची में संशोधन संसदीय अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

अतः इससे स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति की उत्पत्ति प्रशासनिक है न कि समाजशास्त्रीय।वे लोग जो हमारे देश के सबसे दबे कुचले समुदाय में रहते हैं। भारतीय समाज की संरचना में उन्हें निम्न स्थान में डाल दिया गया है। उन्हें निर्योन्य घोषित कर दिया गया है। इन्हीं लोगों को अनुसूचित जाति या दलित नाम में जाना जाता है।

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कैथवलिया गाँव में शोध कार्य के लिये दोनों शोध प्रविधियों का प्रयोग किया गया है । संख्यात्मक, एंव गुणात्मक शोध प्रविधियों का प्रयोग किया गया है । इस शोध कार्य में दोनों स्रोतों का भी प्रयोग किया गया है ।जैसे प्राथमिक स्रोत एंव दितीयक स्रोत का प्रयोग किया गया है । इसमें लगभग 80 % प्राथमिक स्रोत का प्रयोग किया गया है तथा लगभग 20% दितीयक स्रोत का प्रयोग किया गया है ।

अनुसूचित जाति का इतिहासः-

अगर दलित या शूद्रों को हम अनुसूचित जाति की संज्ञा देते हैं तो दलितों या शूद्रों का इतिहास काफी पुराना रहा है। प्राचीन वैदिक काल से ही इनका इतिहास बताया जाता है। ऋग्वेद के पुरूष शुक्ल में दर्शाया गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजाओं से हुई है। वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा के उदर से तथा अन्त में शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पैरों से हुई है। इसी से स्पष्ट होता है कि शूद्रों की स्थिति यह थी कि ना उनको वेद पढ़ने (कुछ भी पढ़ने) का अधिकार नही था। धीरे-धीरे सामाजिक संरचना में जटिलता आती गयी और शूद्रों की स्थिति दिन पर दिन और दैयनिय एवं और नीचे गिरती गयी। जिस समय वर्ण व्यवस्था बनी तभी से इनको कर्मों के आधार पर तथा जाति दोनों के आधार पर और अधिक शोषण होने लगा। इनको कभी भी शिक्षा से लेकर धार्मिक अनुष्ठानों एवं कर्म काण्डों में भी शामिल नहीं किया जाता था। जहाँ तक की सुनने में आता है कि शूद्रों

---

[1]नदीम हसनैन, समयकालीन भारतीय समाज सं. 2009

[2]गया पाण्डेय, भारतीय मानव शास्त्र, पृ. 145

को दिन के समय सार्वजनिक स्थानों पर निकलने पर भी पाबन्दी थी। उनको यहाँ तक वाध्य किया जाता था कि वे अपने गले में घैली (हाड़ी) तथा पीछे झाड़ू बाँधकर चलने का प्रावधान किया गया था। ताकि वे कभी थूकते हैं तो अपने घैली में ही थूकें तथा जब वे आगे बढ़ें तो झाड़ू से पीछे पड़े अपने पैरों के निशान मिटाते चलें।

दलित शब्द या अनुसूचित जाति का इतिहास काफी पुराना रहा है। संस्कृत के एक शब्द से व्युत्पन्न 'दलित' शब्द का तात्पर्य है, शोषित अथवा दबाया हुआ। अर्थात जो जातियाँ या उपजातियाँ आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं शैक्षिक रूप में दबायी गयी हैं, उन्हीं को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखा गया है । अनुसूचित जाति से तात्पर्य सुविधा बिहिन वर्गों से है, जिनके समाज के सामान्य दैनिक क्रिया कलापों एवं भेद-भाव से दबाये गये हैं। उन्हीं को अनुसूचित जाति की संज्ञा देते हैं।

आज भी आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में भी इन सभी को काफी अस्पृश्ता के शिकार लोगों को समाजशास्त्री एवं मानवशास्त्री ने अपने अपने ढंग से अलग-अलग व्याख्याइत किये हैं । डी. एन. मजूमदार (एक मानवशास्त्री) अनुसूचित जातियाँ वे जातियाँ हैं, जो अनेक सामाजिक व नैतिक निर्योग्यताओं का शिकार हैं ।इनमें से अनेक निर्योग्यताएं उच्च जातियों द्वारा परम्परागत तौर पर निर्धारित व सामाजिक तौर पर लागू की गयी है।

आज हम समाजशास्त्रीय साहित्य में भी इसी सामान्य प्रयोगों का अनुकरण करते हैं। वर्तमान समय में 'दलित' या 'अनुसूचित' शब्द का प्रयोग का श्रेय दो मराठी नेताओं महात्मा ज्योतिबा फुले तथा बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर को जाता है। 'दलित' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन् 1931 ई. के आस-पास पत्रकारिता सम्बन्धी लेखों में अस्पृश्य जातियों के लिए किया गया। आज इस शब्द का प्रयोग-अस्पृश्यजातियों के लिए किया गया है । आज इस शब्द का प्रयोग-सुविधाओं एवं मूल अधिकारों से वंचित स्थिति वाले व निम्न कुल में जन्म लेने के कारण एवं शोषण के शिकार लोगों को सम्बोधित करने के लिए किया जाता है।

'दलित' शब्द कोई अपमानजनक शब्द ही नहीं है, बल्कि शोषित वर्ग की पहचान का एक सकारात्मक प्रतीक है। यह शब्द उनके उद्भव जड़ों एवं इतिहास की आयामों को प्रमाणित करता है। 'दलित' शब्द एक ऐसा शब्द है, जिसको सुनते ही सामान्य वर्ग के लोगों के अन्दर एक ऐसी तस्वीर बनती है, कि वे लोग निर्बल, गरीब, लाचार अशिक्षित एवं अन्य कुप्रथाओं के दबाये हुए में प्रतीत होते हैं। 'दलित' शब्द सुनते हैं, सामान्य वर्ग के लोग (दलित) उससे अलग होने लगते हैं। गरीबों एवं निर्बलों की सचेतन की तरह दलित सेचतन एक वैचारिक भाव है। "दलित सेचतना वास्तव में दलित पहचान एवं दलित इतिहास के प्रश्नों को अपने में समेटे हुए है। दलित सचेतना वास्तव में आर्यवाद एवं ब्राह्मण शब्द विरोधी है।[3] (सैमुअल जय कुमार 1999)

---

[3]गया पाण्डेय, भारतीय मानशास्त्र, पृ. 148

आधुनिक समाज में भू-मण्डलीकरण के कारण आज समाज या देशों -विदेशों में क्या घटित हो रहा है। उसका एक समय में अलग-अलग देशों में एक साथ देखा व समझा जा सकता है। इसी के कारण ही आज दुनिया में साक्षरता का अधिकार की लड़ाई जोरों पर है। इसी को मद्दे नजर रखते हुए हमारे (भारत) देश के संविधान निर्माण के समय ही सभी वर्गों को एक कतार में लाने के लिए निर्बलों एवं असहायों एवं अनुसूचित जातियों को विशेष कानूनी अधिकार एवं आरक्षण दिये गये हैं। ताकि वे इन सभी आरक्षणों के द्वारा सामान्य वर्ग के बराबर आ जायें। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में अनूसूचित जातियों एवं जनजातियों को विशेष संवैधानिक अधिकार प्रदान किये गये हैं।

संवैधानिक संरक्षण-

भारतीय संविधान में अनूसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अनेक प्रकार की कानूनी प्रावधान किये गये हैं, जो निम्नलिखित हैं -

1.संविधान के अनुच्छेद 15 (भाग 3) के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि धर्म, जाति प्रजाति अथवा लिंग के आधार पर देश के किसी भी नागरिकों के बीच विभेद नहीं किया जायेगा। संविधान की उक्त धारा के अन्तर्गत भारत के अनुसूचित जाति के प्रत्येक सदस्य को वे समस्त अधिकार प्राप्त हैं, जिससे वे अभी तक वंचित थे।

2.संविधान के अनुच्छेद 164 (भाग 6) के अनुसार मध्य प्रदेश, बिहार व उड़ीसा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण हेतु पृथक मंत्रालय स्थापित करने की अनुशंसा की गयी है। ताकि कल्याण कार्यक्रम भली भांति सम्पादित हो सके।

3.संविधान के अनुच्छेद330, 332 व 334 (भाग 16) के अन्तर्गत लोक सभा एवं राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों के लिए जनसंख्या के आधार पर दस वर्ष के लिए (अतिरिक्त संशोधन कर) सीटें सुरक्षित कर दी गयी हैं।

4.संविधान के अनुच्छेद16(4) व 335 के अनुसार सार्वजनिक सेवाओं व सरकारी नौकरियों हेतु अनूसूचित जाति के सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित रखने का अधिकार राज्य सरकारों का प्रदान किये गये हैं।

5.संविधान के अनुच्छेद 339 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व कल्याण में सम्बन्धित कार्यों की रिपोर्ट मांग सकते हैं। इसी के साथ-साथ केन्द्र सरकार को यह अधिकार भी प्रदान किये गये हैं कि यह राज्यों को अनुसूचित जातियों के संरक्षण के सम्बन्ध में निर्देश दे सकती है।

6.संविधान के अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किये गये हैं कि वह किसी भी समय ऐसे आयोग को नियुक्त कर सकता है जो अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों की सामान्य दशाओं का अध्ययन कर उनके विकास हेतु सुझाव दे सके।

7.संविधान अनुच्छेद46 (भाग 4) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों व जनजातियों की शिक्षा की उन्नति एवं आर्थिक हितों की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान राज्य का कर्तव्य माना गया है।

8.संविधान के अनुच्छेद25 के तहत हिन्दुओं के सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं के द्वार समस्त हिन्दुओं हेतु खुले रहेंगे।

9.संविधान के अनुच्छेद17 के अनुसार अस्पृश्यता का अन्त व अस्पृश्यता निवारण हेतु 1955 ई. में बने अस्पृश्यता अपराध कानून को संशोधित बिल 1972 ई. के माध्यम से अधिक शस्कत लागू किया गया है, जिसमें अस्पृश्यता निवारण संभव हो सके।

10.संविधान की धारा-23 के अनुसार सभी प्रकार के बंधुआ वजबरन श्रम निसिद्ध करार दिया गया है। ऐसा करने वाले भू-स्वामी को 3 वर्ष की कैद व एक हजार रू.जुर्माने तक का प्रावधान है। (रिपोर्ट 1976-16) ऐसा अनुसूचित जाति व जनजाति में सम्बन्धित बंधुआ मजदूरों को शोषण से बचाने हेतु किया गया है।

11.संविधान की धारा-38 व 39 (अ,ब,स,द,व) के अन्तर्गत शासन ने 1950 में योजना आयोग का गठन समानता व सामाजिक व्यय पर आधारित आर्थिक विकास को गति देने हेतु किया गया है।

12.संविधान के अनुच्छेद33 के अनुसार राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों व जनजातियों हेतु एवं आयोग व विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने की व्यवस्था है। आयोग के विशेष अधिकारी का पद आयुक्त (कमिश्नर) नाम में जाना जाता है। आयोग का प्रमुख कार्य अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को प्राप्त संवैधानिक प्रावधानों के वास्तविक क्रियान्वयन का मूल्यांकन कर उपर्युक्त सुझाव प्रस्तुत करता है। 1985-89 ई. में आयोग ने अपना 28वीं प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के आयुक्त ने 24 सुझाओं को सरकार के समक्ष अपने 28वें प्रतिवेदन के माध्यम से देखा है। यह प्रतिवेदन कुल 563 पृष्ठों का है। संक्षेप में इन प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण सुझाओं का वर्णन निम्नलिखित है -

1.नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम को कड़ाई से लागू करने हेतु निम्न सिफारिशें की हैं।

(क) अनुसूचित जाति व जनजाति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने, गरीबी दूर करने एवं असमानता दूर करने में प्रयासरत कार्य कर्ताओं को शासन मदद प्रदान करे।

(ख)ऐसे अधिकारियों को मान्यता प्रदान की जाये जो गरीबी, शोषण व नागरिक अधिकार सुरक्षा हेतु प्रयासरत है। शासन को इनके स्थानान्तरण पर तत्काल रोक लगानी चाहिए।

(ग)सामाजिक भेदभाव अस्पृश्यता व सामाजिक असमानता को कठोर न्यायिक व्यवस्था द्वारा दूर करना चाहिए।

(घ)भूमि स्वामित्व के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों हेतु उपयुक्त कानून बनाना चाहिए, जिससे अनियंत्रित भूमि हस्तानान्तरण रोका जा सके और पुनः भूमि पर स्वामित्व होना चाहिए।

2. उत्पीड़न कानून का दुरूपयोग अथवा उल्लंघन करने वाले सम्बन्धित मामलों का नियमित पुनरावलोकन किया जाना चाहिए।

3. शिक्षा के संदर्भ में अनुसूचित जाति व जनजाति के हितों हेतु विभिन्न योजनाओं को लागू कर शिक्षा के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए।

4. विभिन्न शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं में नौकरियों हेतु वृहद आरक्षण योजना निर्मित कर लागू करनी चाहिए एवं विभिन्न विसंगतिओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

5. समस्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा समाप्ति के पश्चात् जाति प्रमाण-पत्र कम्प्यूटर नम्बर सहित प्रदान किये जायें व इस प्रमाण पत्र का पर्याप्त साक्ष्य माना जाये।

6. केन्द्रीय शासन अनुसूचित जाति व जनजातियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए विशेष वित्तीय सहातया योजनायें निर्मित करें व पंचवर्षीय योजना के अन्त में बची धनराशि को विशेष शिक्षा खण्ड में डालकर प्राथमिक शिक्षा को और अधिक उन्नत प्रदान किया जाये।

7. आठवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु सुस्पष्ट विचार एवं उद्देश्य निर्धारित हों, इसी के साथ-साथ जनजातीय उपयोजना व विशेष कम्पोनेन्ट योजना में उचित तालमेल स्थापित किया जाये।

8. शोषण के समस्त प्रचलित रूपों का पूर्णतः निवारण किया जाये एवं एक्साइज वन, ऋण तथा वितरण आदि से सम्बन्धित विभिन्न तथ्य स्पष्ट किये जायें।

9. आदिम समूहों व पिछड़े वर्गों की सूची को पुनरावलोकन किया जाये व उचित विकास हेतु कार्यक्रम बनाये जायें। इस कार्य हेतु विभिन्न विशेषताओं का दल गठित कर गाइड लाइन तैयार की जाये।

10. अनुसूचित जाति व जनजाति के सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं को ध्यान में रख प्ररिस्थिति निवारण विभिन्न विकास कार्यों हेतु बनाना चाहिए। भविष्य में यह मापदण्ड के रूप में उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

11. सरकार को "स्वेच्छिक छात्र इकाई" के गठन के निर्माण हेतु विचार करना चाहिए,जिससे अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य शामिल हों, इसमें प्रत्येक सदस्य एक वर्ष के लिए एक क्षेत्र स्वेच्छा से चुने व सम्बन्धित कार्य सम्पन्न करें। ऐसे सदस्यों को नौकरियों में प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए।

12. ग्राम स्तर पर पंचायती राज की संस्थाओं के क्रियान्वयन में परम्परागत प्रथाओं को मान्यता प्रदान की जाये। इस सम्बन्ध में विशेष पंचायती राज अधिनियम बनाना चाहिए।[4]

---

[4]डॉ. आर. एन. श्रीवास्तव,भारत में मानव विज्ञान

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भारत सरकार विभिन्न माध्यमों से शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से उत्थान हेतु प्रयासरत होना चाहिए एवं उचित संविधान संशोधनों व प्रावधानों हेतु कार्यरत होना चाहिए।

शोध का उदेश्य –

कैथवलिया गाँव में शोध का उदेश्य निम्नलिखित हैं।

अभी तक इस गाँव में कोई भी शोध कार्य को लेकर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। इस गाँव में आज भी अनुसूचित जातियों के लोगों कि आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक स्थिति आज भी काफी दयनीय है। तमाम प्रकार के आरक्षणों एंव योजनाओं के बावजूद इस गाँव मे इन गरीबों के स्थिति आज भी बहुत ही खराब है। इनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारणों का पता लगाना तथा इनकी स्थिति से सरकार को ध्यान दिलाना है।